

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर  
आ दे श

क्रमांक 202/S.W./2023

मण्डलेश्वर, दिनांक 01/05/2023

मैं, सुनिल कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर प्रशासकीय कर्तव्य के निर्वहन में मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 अध्याय 04 के नियम 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 612/एक-11-1/93/सा. ले. दिनांक 15.12.2022 वर्ष 2023 के दीवानी एवं दांडिक कार्य विभाजन पत्रक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन समाविष्ट करने का आदेश देता हूँ, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा, अर्थात्

सारणी

क्र	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है								
(1)	(2)	(3)	(4)								
33	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड भीकनगांव	न्यायिक तहसील भीकनगांव के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	<table border="1"><tr><td>1</td><td>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।</td></tr><tr><td>2</td><td>नियमित व्यवहार वाद रु. 1/- से रु. 5,00,000/- की सीमा तक के ।</td></tr><tr><td>3</td><td>लघुवाद प्रकरण रु. 1/- से रु. 200/- की सीमा तक के ।</td></tr><tr><td>4</td><td>धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रु. रु. 1/- से 5,00,000/- की सीमा तक के प्रकरण ।</td></tr></table>	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।	2	नियमित व्यवहार वाद रु. 1/- से रु. 5,00,000/- की सीमा तक के ।	3	लघुवाद प्रकरण रु. 1/- से रु. 200/- की सीमा तक के ।	4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रु. रु. 1/- से 5,00,000/- की सीमा तक के प्रकरण ।
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।										
2	नियमित व्यवहार वाद रु. 1/- से रु. 5,00,000/- की सीमा तक के ।										
3	लघुवाद प्रकरण रु. 1/- से रु. 200/- की सीमा तक के ।										
4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रु. रु. 1/- से 5,00,000/- की सीमा तक के प्रकरण ।										
		टीप	क्रमांक 2 से 4 पर उल्लेखित समस्त प्रकरण दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।								
34	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड भीकनगांव के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	न्यायिक तहसील भीकनगांव के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	रिक्त न्यायालय								

(सुनिल कुमार जैन)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)